न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 64/18 निर्णय दिनांकः–21.11.2023
(जीसीएमएस संख्या 2018/00479)

1. काशीराम पुत्र श्री रणजीतराम जाति बिश्नोई निवासी चमार खेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. हेतराम पुत्र रणजीतराम जाति बिश्नोई निवासी चमार खेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, कोलायत।
2. करणीसिंह पुत्र भंवरसिंह
3. शैतानसिंह पुत्र करणीसिंह
4. महेन्द्र सिंह पुत्र करणीसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण चारणवाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 26–07–2018
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत

उपस्थितः

1. श्री आर.के.दास गुप्ता, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के निर्णय व डिक्री दिनांक 26–07–2018 के विरुद्व पेश की, जिसके द्वारा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट् को आवंटित भूमि का खातेदार काश्तकार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4 को घोषित किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 एवं 15एएए के तहत प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 4 के दादा भंवरसिंह पुंत्र फौजसिंह के नाम से ग्राम चारणवाला के खसरा नम्बर 46 में 172 बीघा 10 बिस्वा भूमि निहित रही है। ग्राम चारणवाला पूर्व में रियासतकाल में जैसलमेर रियासत में था जिसका का किसी प्रकार का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता था। वादग्रस्त भूमि की प्रथम मिसल बन्दोबस्त संवत् 2024 में तैयार की गई थी। उक्त मिसल बन्दोबस्त तैयार करते समय वादग्रस्त भूमि को आराजीराज दर्ज रिकार्ड कर दिया गया। जबकि मौके पर रेस्पोडेन्ट्स का पीढ़ियों से कब्जा चल आ रहा है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र पर संबंधित तहसीलदार से मौके की रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट में संबंधित तहसीलदार द्वारा स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स का नाजायज कब्जा काश्त है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट्स की हैसियत मात्र एक अतिक्रमी की रही है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा आगे कथन किया कि वादग्रस्त भूमि चक 29 सीडब्ल्यूबी के मुरब्बा नम्बर 146/49 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि एवं मुरब्बा नम्बर 146/42 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि जिसका खातेदार काश्तकार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4 को घोषित किया गया है उक्त भूमि अपीलांट् माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में अपीलांट् को आवंटित भूमि रही है तथा जिसकी किश्तें भी अपीलांट् द्वारा खजानाराज में जमा करवाई गई है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट् के अधिकार उत्पन्न होते हुए भी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4 द्वारा जानबूझकर अधीनस्थ

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय के समक्ष अपीलांट् को बतौर पक्षकार स्थापित किये बिना व न्यायालय को गुमराह करते हुए आदेश जैर अपील विधि विरूद्व तरीके से प्राप्त किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया गया कि उक्त भूमि अन्य व्यक्ति को आवंटित भूमि रही है तथा रेस्पोडेन्ट्स उक्त भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज रहे है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश मात्र से ऐसे अतिक्रमियों को आराजीराज भूमि पर कब्जा करने हेतु प्रोत्साहन प्राप्त होता है तथा ऐसे कृत्यों को बढ़ावा मिलता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा आगे कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष वादपत्र पर तनकी संख्या 1 कायम की गई कि आया कि विवादित भूमि ग्राम चारणवाला खसरा नम्बर 46 में 172 बीघा 10 बिस्वा भूमि भंवरसिंह पुत्र फौजसिंह के नाम समरी में दर्ज है जो पुख्ता सैटलमेंट में दर्ज नहीं करने से वादीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार की घोषणा कराने के अधिकारी है? उक्त तनकीयात् को साबित करने का भार वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स पर था। वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपने कथन को साबित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खसरा गिरदावरियॉ प्रस्तुत की गई है जबकि खसरा गिरदावरियॉ मात्र कब्जे को प्रमाणित करती है, इस संबंध में तहसीलदार द्वारा अपने जवाब में स्पष्ट रूप से वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स को वादग्रस्त भूमि कब्जे काश्त को बतौर अतिकम्री माना गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी को खातेदार काश्तकार घोषित करने में विधिक त्रूटि कारित की गई है। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट् को विधिवत् आवंटित भूमि रही है। प्रकरण में वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपीलांट्स जोकि कि आराजी जैर के आवंटी है, को पक्षकार स्थापित किये बिना ही आदेश जैर अपील प्राप्त करते हुए अपीलांट् को उनके विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा इन सबके बावजूद बिना रिकार्ड का अवलोकन किये व दावे के आवश्यक प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए रिकार्ड क विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। इस प्रकार अदालत मातहत का निर्णय व डिक्री अपूर्ण, तथ्यों के विपरीत व कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है। अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाते हुए अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने पत्रावली पर बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम चारणवाला के खसरा नम्बर 46 में 172 बीघा 10 बिस्वा भूमिं वादी संख्या 1 के पिता व वादी संख्या 2 व 3 के दादा भंवरसिंह पुत्र फौजसिंह के कब्जे काश्त की भूमि रही है। उक्त भूमि ग्राम चारणवाला जैसलमेर में था, तत्समय किसी प्रकार का राजस्व रिकार्ड नहीं रखा जाता था। ग्राम चारणवाला का राजस्व रिकार्ड सर्वप्रथम संवत् 2012 में तैयार किया गया। जिसमें संवत् 2012 से 2018 तक वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता/दादा के नाम दर्ज भूमि रही जिसे कालान्तर दौराने सेटलमेंट आराजीराज दर्ज कर दिया गया, परन्तु मौके पर आज दिनांक तक वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स का निरन्तर कब्जा काश्त रहा है। उक्त भूमि समरी सेटलमेंट के दौरान खसरा नम्बर 419, 448, 475, 493 व 497 मे पैमूद हुइै तथा दौराने चकबन्दी चक 29 सीडब्ल्यूबी के मुरब्बा नम्बर 146/50, 146/49, 146/42 व चक 31 सीडब्ल्यूबी के मुरब्बा नम्बर 146/26, 146/27 के रूप में पैमूद हुई। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा वादग्रस्त भूमि चक 29 सीडब्ल्यूबी के मुरब्बा नम्बर 146/50, 146/49, 146/42 व चक 31 सीडब्ल्यूबी के मुरब्बा नम्बर 146/26, 146/27 पर अपने कब्जे काश्त को सुरक्षित रखते हुए व वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वादपत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र पर नियमानुसार तनकीयात् कायम की गई, राज्य पक्ष का जवाब प्राप्त किया गया तथा मौके पर कब्जे काश्त की पुष्टि स्वतन्त्र गवाहान् से करवाये जाने के पश्चात् वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार रेस्पोडेन्ट्स को घोषित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है।

प्रकरण में जहॉ तक वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट्स के अधिकारों का प्रश्न है, वादग्रस्त भूमि से अपीलांट्स का कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि अपीलांट्स को आराजी जैर का आवंटन दौराने कार्यवाही किया गया है तथा इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णय में अभिलिखित किया गया है कि ऐसी कार्यवाही वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स के अधिकारों की घोषणा में बाधक नहीं होगी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तमाम परिस्थितियों को दृष्टिगत् रखते हुए आराजी जैर पर वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स के कब्जे काश्त को सुरक्षित रखते हुए विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत् रखने के उपरान्त ही

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आदेश जैर अपील के माध्यम से रेस्पोडेन्ट्स को आराजी जैर का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। अपीलांट्स वादग्रस्त भूमि से किसी प्रकार से हितबद्व पक्षकार नहीं है नाही उन्हें प्रस्तुत अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष ही प्राप्त हो सकता है। लिहाजा अपीलांट्स की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 15एएए व धारा 125 एवं 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत दावा पेश किया। अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 26–07–2018 के माध्यम से वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2 ता 4 को वादग्रस्त भूमि चक 29 सीडब्ल्यूबी के मुरब्बा नम्बर 146/49 व मुरब्बा नम्बर 146/42 की कुल तादादी 50 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में सर्वप्रथम अपीलांट्स द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का निर्धारण किया जाना आवश्यक है, अर्थात इस प्रश्न का निर्धारण की क्या अपीलांट्स वादग्रस्त भूमि से हितबद्व पक्षकार होते हुए उन्हें अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त है अथवा नहीं? इस संबंध में हमने पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकंन किया। प्रकरण में पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया जाहिर होता है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट्स को आवंटित भूमि रही है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स वादग्रस्त भूमि से हितबद्व पक्षकार साबित होने से अपीलांट्स का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकरण में जहाँ तक गुणावगुण का प्रश्न है, प्रस्तुत मामलें में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट्स को वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार बतौर काबिज काश्त मानते हुए किया गया है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेन्ट्स/वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि ग्राम चारणवाला के खसरा नम्बर 46 में 172 बीघा 10 बिस्वा भूमि वादी संख्या 1 के पिता व वादी संख्या 2 व 3 के दादा भंवरसिंह पुत्र फौजसिंह के कब्जे काश्त की भूमि बताते हुए कालान्तर में उक्त भूमि समरी सेटलमेंट के दौरान खसरा नम्बर 419, 448, 475, 493 व 497 मे पैमूद होने तथा दौराने चकबन्दी चक 29 सीडब्ल्यूबी के मुरब्बा नम्बर 146/50, 146/49, 146/42 व चक 31 सीडब्ल्यूबी के मुरब्बा नम्बर 146/26, 146/27 के रूप में पैमूद होने व उक्त भूमि पर अपने कब्जे काश्त के आधार खातेदारी अधिकारों की घोषणा की मांग की गई थी।

इस संबंध में हमने वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। प्रकरण में वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स द्वारा वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 46 में 172 बीघा 10 बिस्वा के संबंध में सवंत् 2012 से 2018 तक की खसरा गिरदावरियॉ प्रस्तुत की गई है, जिसमें उन्हें बतौर उपकृषक बताया गया है, परन्तु कालान्तर में उक्त भूमि दौराने बन्दोबस्त खसरा नम्बर 419, 448, 475, 493 व 497 मे पैमूद होने तथा दौराने चकबन्दी चक 29 सीडब्ल्यूबी के मुरब्बा नम्बर 146/50, 146/49, 146/42 व चक 31 सीडब्ल्यूबी के मुरब्बा नम्बर 146/26, 146/27 के रूप में पैमूद होने के संबंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा मिलाप क्षेत्रफल अथवा सूची नम्बर 4 आदि अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह साबित हो सके कि खसरा नम्बर 46 की 172 बीघा 10 बिस्वा भूमि कालान्तर में चक 29 सीडब्ल्यूबी के मुरब्बा नम्बर 146/50, 146/49, 146/42 व चक 31 सीडब्ल्यूबी के मुरब्बा नम्बर 146/26, 146/27 के रूप में पैमूद हुई है। केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर रेस्पोडेन्ट्स को आराजी जैर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना प्रथम दृष्टया साबित होता है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकरण में जहॉ तक वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट्स के अधिकारों का प्रश्न है, वादग्रस्त भूमि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 16–03–2016 जोकि रिट याचिका संख्या 2305/08 के अनुसरण में बतौर विशेष आवंटन किया गया है, जिसकी पुष्टि आवंटन आदेश दिनांक 27–02–2017 से होती है। इस प्रकार इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट्स को आवंटित भूमि रही है।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र के निर्णय का मुख्य आधार वादग्रस्त भूमि पर वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स के कब्जे काश्त को लेकर किया गया है तथा उक्त तथ्य के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संबंधित तहसीलदार का जवाब है, उक्त जवाब का अवलोकन किया गया। संबंधित तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाब में वादग्रस्त भूमि पर वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स को बतौर अतिक्रमी माना गया है तथा साथ ही धारा 22 की कार्यवाही किये जाने का भी उल्लेख किया गया है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार के जवाब से भी यह साबित होता है कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स वादग्रस्त भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज रहे है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् रिकार्ड प्रस्तुत किये बिना व बिना रिकार्ड के अवलोकन किये ही आराजी जैर का खातेदार काश्तकार रेस्पोडेन्ट्स को घोषित किया गया है।

उल्लेखनीय यह भी है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र पर नियमानुसार तनकीयात् कायम करते हुए वादपत्र को साबित करने का भार रेस्पोडेन्ट्स पर था, परन्तु रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में मात्र वादग्रस्त भूमि के बाबत् खसरा गिरदावरियॉ ही प्रस्तुत की गई है, जोकि रिकार्ड ऑफ राईट्स की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र एक फोटो कॉपी दस्तावेज के आधार पर रेस्पोडेन्ट्स को वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है वही दूसरी तरफ आराजी जैर के संबंध में पूर्व के खसरा नम्बरान् के दौराने चकबन्दी चक 29 सीडब्ल्यूबी के मुरब्बा नम्बर 146/50, 146/49, 146/42 व चक 31 सीडब्ल्यूबी के मुरब्बा नम्बर 146/26, 146/27 के रूप में पैमूद होने के संबंध में प्रस्तुत पुख्ता दस्तावेज यथा मिलान क्षेत्रफल, सूची नम्बर चार

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आदि के अभाव में वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स को वादग्रस्त भूमि का खातेदार विधि विरूद्व व दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में घोषित किया जाना जाहिर होने से आदेश जैर अपील पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नहीं माना जा सकता।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, कोलायत का निर्णय व डिक्री दिनांक 26–07–2018 निरस्त किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 21/11/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

डिकरी ब सीगे अपील

(ऑ. 41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'G' 9)

अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम बीकानेर
बइजलास वीरेन्द्र सिंह चौघरी, आर.ए.एस.

काशीराम बनाम करणीसिंह व अन्य
अपील संख्या 64/18

बनाराजगी निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, कोलायत
मुवर्खे 26–07–2018

यह अपील ब–तारीख 21–11–2023 रूबरू हमारी, बहाजरी श्री अभिभाषक अपीलांट् श्री आर.के.दास गुप्ता, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् श्री रामचन्द्र सिंह भाटी पेश होकर हुक्म हुआ। जिसके अनुसार अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, कोलायत का निर्णय व डिक्री दिनांक 26–07–2018 खारिज किया गया।

(खर्चा अपील हाजा का हल्व तफ्सीस जेरे तादादी मुबलिग .....–.....) रूपयें अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .....–..... अदा करें।

बशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 21 माह नवम्बर सन् 2023 को जारी किया गया।

मुहर

हस्ताक्षर राजस्व अपील प्राधिकारी,
बीकानेर
21/11/23

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू.	पै.	रेस्पोडेन्ट	रू.	य पै.
1. स्टाम्प अपील..... 2. स्टाम्प वकालतनामा .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत् .... मीजान			1. स्टाम्प वकालतनामा..... 2. अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील ..... मीजान		